न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान सावित्री देवी बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 53 / 2025
निर्णय दिनांक ......12.11.2025......

सावित्री देवी पुत्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी लुड़नियां बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव लुड़नियां बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 247 / 207 की 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265 / 13 तादादी 4.6281 हैक्ट. एवं रोही मौजा लुड़नियां छोटा के खाता सं. 73 के खसरा नं. 246 / 57 तादादी 0.3161 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसराजात कृषिभूमि की जमाबंदी में इंतकाल के समय कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमावंदी में वादीनी सावित्री देवी पुत्री मनीराम का नाम धोला देवी पुत्री मनीराम दर्ज हो गया, जो गलत है। वादीनी का नाम उक्त दोनों जमावंदियों में गलत दर्ज होने के कारण वादीनी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे वादीनी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये वादीनी उक्त दोनों खसराजात की जमावंदियों में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। वादीनी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में वादीनी का नाम सावित्री देवी अंकित है जो वादीनी का सही नाम है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि लुड़नियां बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 247 / 207 की 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265 / 13 तादादी 4.6281 हैक्ट. एवं रोही मौजा लुड़नियां छोटा के खाता सं. 73 के खसरा नं. 246 / 57 तादादी 0.3161 हैक्ट. कृषि भूमि मे वादीनी का नाम सावित्री देवी पुत्री मनीराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीनी सावित्री देवी पुत्री मनीराम व धोला देवी पुत्री मनीराम दोनो एक ही महिला के नाम होना बताया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाव पेश नहीं किया। वकील वादीनी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादीनी ने वादीनी सावित्री देवी एवं साधुराम पुत्र डूंगरराम के शपथ पत्र पेश किये एवं बयान लेखवद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीनी के कथनों का गौर किया गया तथा वादीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

Rajendra

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र में वादीनी का नाम सावित्री देवी पुत्री मनीराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम धोला देवी पुत्री मनीराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही लुड़नियां बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 247/207 की 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. एवं रोही मौजा लुड़नियां छोटा के खाता सं. 73 के खसरा नं. 246/57 तादादी 0.3161 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीनी का नाम धोला देवी पुत्री मनीराम **Delete** कर इसके स्थान पर सावित्री देवी पुत्री मनीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)